प्रेषक

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2016**

विषयः- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित 'लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क' की योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 मे प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद गाजीपुर के अवशेष कार्यों हेतु धनराशि को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 341-42/बजट-आयोजनागत/2015-16 दिनांक 19 फरवरी, 2016 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क के निर्माण हेतु अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत आय-व्ययक 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शेष धनराशि रू0 24.57 लाख (रूपये चौबीस लाख सत्तावन हजार) मात्र की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदान की गयी है:-

अनुदान संख्या-10 (धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	2015-16 में प्राविधानित धनराशि	2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	जनपद गाजीपुर के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-			
आयोजनागत-			
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-			
112-सार्वजनिक उद्यान			
04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं			
पार्क-			
02-मजदूरी	3746	2500	4,00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	0	7
42-अन्य व्यय	4000	896	1342
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	3214	1604	7,00
योग-	**10980**	**5000**	**2449**

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-			
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-			
112-सार्वजनिक उद्यान-			
03-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क-			
24-वृहत निर्माण कार्य	9000	0	0
26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20	0	8
योग-	**9020**	**0**	**8**
कुल योग-	**20000**	**5000**	**24,57**

(रू0 चौबीस लाख सत्तावन हजार मात्र)

2- उक्त लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क के निर्माण एवं संचालन हेतु उपरोक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने की प्रशासकीय स्वीकृति भी अधोलिखित शर्तो एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) अवमुक्त की गयी धनराशि से आगणन के अनुसार कराये जाने वाले कार्य, शासन/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर व्यय की जाय ।

(3) धनराशि व्यय करने के पूर्व भंडार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(4) उक्त पार्क के संचालन कार्य के व्यय के पूर्व जिन मद/मदों में व्यय हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो, उनमे व्यय करने से पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(5) उक्त प्रयोजन हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय, शासन को उपलब्ध करायी गयी योजना के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(8) यदि अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

(9) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ वित्त नियन्त्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

4- जनपद गाजीपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क के निर्माण एवं संचालन हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये गये कार्यो का मण्डलीय नोडल अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या भी उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

संख्या-15/2016-566/(1)/58-2016 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी गाजीपुर ।
3- कोषाधिकारी गाजीपुर।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियन्त्रक, निदेशालय खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मण्डलीय उपनिदेशक, उद्यान, वाराणसी ।
8- जिला उद्यान अधिकारी, गाजीपुर ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in